संख्या- 19/2019/908/बयालिस-2019-29(बजट)/2013

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2019**

विषय :- **मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई को वित्तीय वर्ष- 2019-20 में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 55/स्पो0का0लखनऊ/2019-20, दिनांक 15 अप्रैल, 2019 एवं प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई के पत्र संख्या- 823/एस0सी0/व्यय विवरण/2019, दिनांक 31 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष- 2019-20 में मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 115.07 लाख (रूपया एक करोड़ प ह लाख सात हजार मात्र) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 159.93 लाख के सापे 50 प्रतिशत धनराशि 79.97 लाख (रूपया उन्नयासी लाख सत्तानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019**,** दिनांक 22 मार्च**,** 2019 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्यायवर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षों की देनदारियों पर नहीं किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मित्तव्ययता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग- 1 के अध्याय- 16 में दिये गये अध्यावद्यिक नियम भी लागू होंगे। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी0एम0- 13 प्रपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यथासमय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक '' 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-104-खेलकूद-23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान-2303-स्पोर्टस कालेज, सैफई को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद '' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019**,** दिनांक 22 मार्च**,** 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 908(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई ।
4- सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।